>

Title: Need to implement 'one-rank-one-pension' formula for retired defence personnels.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, सेना से पूर्व में रिटायर हुए और वर्तमान में रिटायर हो रहे सेनाकर्मियों की पेंशनों में बहुत विसंगति है, जिससे सैनिकों में असंतोष पनप रहा है। विगत अनेक वर्षों से भूतपूर्व सैनिक इस विसंगति को दूर करने के लिए एक रैंक एक पेंशन के सिद्धान्त को लागू करने का निवेदन करते रहे हैं।

महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र में सेवारत एवं सेवानिवृत्त सैनिक बहुतायत में हैं। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें के उपरांत रक्षा मंत्री ने इस बारे में एक विशेष समिति गठित की थी, जिसे इस समस्या के समाधान हेतु अपनी अनुशंसाएं देनी थीं, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इससे देश में विभिन्न रैंकों के सेवानिवृत्त सैनिकों में काफी रोष एवं क्षोभ है। अब छठे वेतन आयोग की सिफारिशें भी लागू की जा चुकी हैं, लेकिन वन रैंक वन पेंशन के सिद्धान्त को अभी तक लागू नहीं किया गया है अतः मेरा आपके माध्यम से वित्त मंत्री एवं रक्षा मंत्री से आग्रह है कि भूतपूर्व सैनिकों की पेंशनों में विसंगति को दूर करने के लिए तत्काल "वन रैंक वन पेंशन " के सिद्धान्त को लागू किया जाये।